न्यायालय – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

अपील सं0 95/2016 एल. आर. एक्ट

पन्नाराम पुत्र श्री देवसीराम जाति मेघवाल, निवासी हरदासवाली, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

बनाम

1. मंगतराम पुत्र श्री जसराम जाति मेघवाल निवासी अनूपगढ तह. अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. हरिराम
3. गुड्डी देवी पिसरान देवसीराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तह0 सूरतगढ ।
4. सेवाराम
5. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज ।

18.9.19 आज यह पत्रावली अपीलाट पन्नाराम जरिये अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गयी । अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान की अपील में अपीलान्ट द्वारा आगे के लिए हिदायत पैरवी नहीं किये जाने बाबत कहे जाने के कारण इस अपील को चलाना नहीं चाहते हैं । अतः जरिये विड्रा निस्तारण फरमाई जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ द्वारा वसीयति प्रकरण सं0 15/2014 अनवान प्रार्थना पत्र मंगतराम पुत्र जसराम मेघवाल साकिन अनूपगढ में पारित किये गये निर्णय दिनांक 23.4.14 के विरुध्द प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट को उक्त अपील चलाने हेतु आगे हिदायत पैरवी नहीं है तथा अपीलाट द्वारा अपील आगे नहीं चलाये जाने के कारण जरिये विड्रा निस्तारण हेतु निवेदन किया है । अतः अभिभाषक अपीलान्ट को अपील में आगे के लिए हिदायत पैरवी नहीं होने तथा आगे अपील नहीं चलाये जाने के कारण यह अपील अपीलान्ट जरिये विड्रा इसी स्तर पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ को प्रेषित हो । पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर